crores were taken for payment to the IMF. It was discussed and approved by this House. I have nothing more to add. I request the hon. Members to pass this Appropriation Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now the question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of Consolidated Fund of India for the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now we take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL, 1993.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Hon. Members, there is the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1993. There are six speakers. All the speakers have agreed that this is a non-controversial Bill and it should be passed without discussion. Shri S. Muthu Mani wanted to say a few words. But he is not present

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : आपने हाऊस की सहमति एप्रोप्रिएशन बिल पर ली थी। मेरा यह मैटर पांच बजे के लिए है।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : आपका मैटर अभी लेते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब इधर से कह रहे हैं इनको बोलना है और उधर से उनको बोलना है 5.35 बज चुका है और फिर 6.00 बजे प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। फिर यह मैटर तो गया। आप से खत्म कर दीजिए। ..... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : यह बिल बस खत्म हो गया। कोई है नहीं बोलने वाला। अभी लेते हैं आपका मैटर।

It will take a few minutes. Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : Sir, I move :

"That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. A. SANGMA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the Prime Minister is making a statement in the Lok Sabha...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I had already announced that he was going to make a statement at 6.00 p.m. in this House.

Now we will take up the Half-an-Hour discussion... *(Interruptions)*

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी सुबह मैंने डिप्टी चेयरमैन को लिखकर दिया था कि जो स्कैम और बैंक की फ्राडिंग हुई है इसमें उस पीरियड की भी चर्चा है जब मैं पैट्रोलियम मंत्रालय में था और उस

हैसियत से बी.आई.डी.बी. का चेयरमैन था उसमें उस पीरियड का भी जिक्र किया गया है। मैंने उस कमेटी के चेयरमैन को चार बार चिट्ठा कि मुझे बुलाया जाए और एक्सप्लेन करने का बचाव करने का मौका दिया जाए, मगर हमको चेयरमैन ने एक्नॉलेज नहीं किया हमको बुलाया भी नहीं गया। एनी वे मैंने उस पर पर्सनल एक्सप्लनेशन के लिए एक चिट्ठी आज सुबह लिख कर दी है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि हमको कब मौका मिलेगा पर्सनल एक्सप्लनेशन का?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : As you have yourself said, the Deputy Chairman is seized of the matter and she will inform you regarding this.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given in the Rajya Sabha to starred question 62 on 7th December, 1993 regarding Telecasting rights for Hero Cup Tournament.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी।

महोदय, दिनांक 7 नवम्बर को प्रश्न संख्या 62 का उत्तर जिस समय सूचना और प्रसारण मंत्री सदन में दे रहे थे तो उनके उत्तर से सदन को संतोष नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस पर आधे घंटे की चर्चा कराने का नोटिस दिया था डिप्टी चेयरमैन साहिबा ने इस नोटिस को स्वीकार किया और मुझे यह चर्चा चलाने की अनुमति दी इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, इससे पहले कि मैं यह चर्चा शुरू करूं, 7 तारीख को हुए सवाल और जवाब के संदर्भ में एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी। उस समय, जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो बार-बार जिस इंटरनेशनल को जिस कंटेक्सिअस वे में फॉरन मल्टी नेशनल यानी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहकर संबोधित कर रहे थे और जिस तरह से सी.पी.आई के गुरुदास दासगुप्त सत्तारूढ़ दल की ग्लोबलाइजेशन की नीति को दुहाई देते हुए सी.ए.बी. एक्शन का बचाव कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उल्टा-पल्टा हो गया है। मुझे लग रहा था कि यदि जसपाल भट्टी उस दिन इस सदन की दीर्घा में उपस्थित होते तो एक बहुत अच्छा और सुन्दर वह कार्यक्रम दूरदर्शन के उल्टा-पल्टा कार्यक्रम के लिए तैयार कर सकते थे। मल्टीनेशनल कम्पनियों का बंगाल तो मल्टी नेशनल के रंग में रंग जाए और कांग्रेस के मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानने लगें इससे बड़ा अजूबा दूसरा नहीं हो सकता। वास्तव में हीरो कप के प्रसारण के संबंध में यही अजूबा घटित हुआ। मैंने इस केस के पूरे फैक्ट्स की पूरे तथ्यों की जानकारी हासिल की है तफसील में जाकर उसको सदन में नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि उससे सदन का समय बहुत बेकार चला जाएगा लेकिन मोटे तौर पर मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी क्योंकि शायद वे अपने जवाब में यह कहना चाहें कि मुझे मालूम है कि किस तरह से सी.ए.बी. को एक करोड़ रुपए ऑफर करके दूरदर्शन ने इस मैच के प्रसार के अधिकार खरीदने चाहे। फिर किस तरह से टी.डब्ल्यू.आई. ने लगभग दो करोड़ रुपए का ऑफर करके बजाए दूरदर्शन के स्वयं खरीद लिए। फिर किस तरह से स्टेडियम के अंदर के विज्ञापनों से होने वाली आय की कमी का अनुभव करते हुए सी.ए.बी. ने दूरदर्शन को यह सलाह दी कि वह टी.डब्ल्यू.आई. से कम से कम हिन्दुस्तान के अंदर के प्रसारण अधिकार खरीद लें जिसको दूरदर्शन ने अपनी हेठी मानते हुए ठुकरा दिया और फिर किस तरह से जब टी.डब्ल्यू.आई. ने अपलिंक करने वाला अपना इक्विपमेंट बाहर से मंगाना चाहा तो बाकी सभी तमाम विभागों की स्वीकृतियां होने के बावजूद इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट और इंडियन वायरलैस ऐक्ट के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर के दूरदर्शन ने उस इक्विपमेंट को रुकवा दिया और फिर किस तरह से कलकत्ता उच्च न्यायालय में जब याचिका दायर की गई तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दूरदर्शन को होस्ट ब्रोडकास्टर का दर्जा देते हुए हिन्दुस्तान का प्रसारण करने के आदेश दूरदर्शन को दिया और टी.डब्ल्यू.आई. को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण के आदेश देते हुए उनके रास्ते में कोई बाधा, कोई एकाबट